

# ग्रामीण सेवा शिविर-2025

पत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प

- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी शिवार-डी  
मू.अ.नि. मेहनुरिया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा नायक  
तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजसमन्द जिला न्यायालय अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुसरण में यान आंजगा तहसील रेलमगरा ज  
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 180 में  
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजसमन्द रिपोर्ट में अमल  
दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजसमन्द रिपोर्ट में दर्ज की जानी है)
1	आंजगा	180	खेमा पुत्र सुमान भील टिप्पा 1/2 - M.A. G.B धनेरिया	खेमा पुत्र सुमान भील टिप्पा 1/2 - R. P. B धनेरिया

उपखण्ड अधिकारी

लोक अदालत  
रेलमगरा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

क्रमांक- 364

तिलिपि -

दिनांक - 16/10/25

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजसमन्द रिपोर्ट में अनल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट गिजायवे।
2. प्रार्थी श्री को सूचना दी।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी

रेलमगरा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर